# मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

## उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

## विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 366-372 प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी / 628 / 2015

भोपाल, दिनांक 14/07/2020

आवेदकः–

M/s Swadhyaya Mandir
Plot No. 16-A,
IDA Scheme No. 71,
Indore – 452 009 (M.P.)

विरूद्ध

अनावेदकगणों :–

1. M/s Plethico Pharmaceuticals Limited,
All Board of Director,
A-B Road, Manglia
Indore – 452001 (M.P.)

2. M/s Plethico Pharmaceuticals Limited,
All Board of Director,
AML Centre, 3rd Floor,
Mahakali Caves Road, Andheri,(East)
Mumbai – 400 093

3. M/s Plethico Pharmaceuticals Limited,
All Board of Director,
Village – Dharavara,
Indore-Dhar Road,
Post – Kalaria,
Distt. – Indore – 453001 (M.P.)

4. M/s Plethico Pharmaceuticals Limited,
All Board of Director,
Sabanam House, Plot No. 15/16,
Central Cross Road,
MIDC Andheri (East),
Mumbai – 400 093

5. M/s Plethico Pharmaceuticals Limited,
Through Mr. Shashikant Patel,
Chairman & Managing Director,
AML Centre, 3rd Floor,
Mahakali Caves Road, Andheri,(East)
Mumbai – 400 093

6. M/s Plethico Pharmaceuticals Limited,
Through Mr. Chirag Patel,
Whole Time Director & CEO
AML Centre, 3rd Floor,
Mahakali Caves Road, Andheri,(East)
Mumbai – 400 093

**अन्तिम सुनवाई दिनांक 23.06.2020**

**माध्यस्थम आदेश दिनांक 07.07.2020**

14-07-2020

आवेदक द्वारा दिनांक 07.07.2015 को प्रस्तुत दावा आवेदन–पत्र में निम्नानुसार दावे का प्रस्तुतीरण किया हैः–

अनावेदक द्वारा आवेदक को दिनांक 01.08.2013 से दिनांक 24.12.2014 तक, कुल राशि रू. 4,54,438/– की उनके द्वारा उत्पादित सामग्री के पैकिंग मटेरियल सहित प्रिंटिंग सामग्री के प्रदाय हेतु 22 प्रदाय आदेश जारी किये गये।

..........2

प्रकरण में अनावेदक को सुलह करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये। सुनवाई दिनांक 11.09.2019 को अनावेदक के अनुपस्थित रहने पर काउन्सिल द्वारा प्रकरण आगामी सुनवाई पर एकपक्षीय माध्यस्थम कार्यवाही हेतु नियत किया गया।

प्रकरण दिनांक 23.06.2020 को एकपक्षीय माध्यस्थम कार्यवाही हेतु नियत किया गया।
सुनवाई दिनांक 23.06.2020 को दोनों पक्ष अनुपस्थित रहे। प्रकरण पूर्व दिनांक 11.09.2019 को एक्सपार्टी निर्णय हेतु रखा जा चुका था। अतः प्रकरण एकपक्षीय निर्णय हेतु नियत किया गया।

**काउन्सिल द्वारा प्रकरण का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया कि :–**

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2015, से अनावेदकगणों को स्पीड पोस्ट से प्रेषित किये गये, किन्तु अनावेदकगणों द्वारा आवेदक के दावा आवेदन पत्र का कोई उत्तर प्रस्तुत नही किया गया। इसके पश्चात सुनवाई दिनांकों के सूचना पत्र स्पीड पोस्ट से 6 अनावेदकगणों को प्रेषित किये गये जिनमें से 4 अनावेदकगणों को प्रेषित सुनवाई के सूचना पत्र भी अनावेदक को प्राप्त होने की पुष्टि स्पीड पोस्ट की डिलीवरी रिपोर्टस से होती है जो, अभिलेख में उपलब्ध हैं, जिनका अवलोकन किया गया।

आवेदक का दावा आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरांत भी अनावेदक द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नही किया गया। इसी प्रकार अनावेदक को सुनवाईयों के सूचना पत्र जारी किये गये।

आवेदक द्वारा पत्र दिनांक 20.12.2016 से अनावेदक को प्रेषित पत्र दिनांक निरंक की प्रति प्रेषित कर आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। अनावेदक को प्रेषित पत्र एवं संलग्न ब्याज पत्रक अनुसार अनुसार आवेदक द्वारा अनावेदक से बकाया मुलधन राशि रू. 2,03,938 /– एवं ब्याज राशि रू. 1,35,206 /– की मांग की गई है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत ब्याज गणना पत्रक अनुसार आवेदक को अनावेदक से राशि रू. 1,00,000 /– माह फरवरी 2016 में तथा राशि रू. 2,20,113 /– दिनांक 05.04.2016 को प्राप्त हुए है तथा 30 नवम्बर 2016 तक की स्थिति में बकाया राशि रू. 3,39,144 /– अनावेदक पर बकाया है। अनावेदक द्वारा आवेदक की बकाया राशि में से अनावेदक द्वारा भुगतान किये जाने से आवेदक का दावा अनावेदक द्वारा मान्य किये जाने की पुष्टि होती है। यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा, अनावेदक के संज्ञान में होते हुए भी, अनावेदक द्वारा आवेदक के दावे का खंडन / उत्तर प्रस्तुत नही किया है। अतः आवेदक द्वारा अनावेदक के विरूद्ध प्रस्तुत विलंबित संदाय राशि का दावा स्वतः स्थापित होता है।

सुनवाई दिनांक 23.06.2020 को आवेदक द्वारा दिनांक 23.06.2020 को ई–मेल द्वारा पत्र प्रेषित कर लेख किया कि अनावेदक से दिनांक 31.12.2016 तक ब्याज सहित राशि रू. 3,39,144 /– लेना थे। इस राशि में से दिनांक 31.12.2016, 13.01.2017 01.02.2017, एवं दिनांक 05.04.2017 तक अनावेदक से राशि रू. 2,42,652 /– प्राप्त कर लिए गये है एवं अनावेदक मेसर्स प्लेथिकों फार्मास्यूटिकल्स के कहने पर यह राशि सहयोगी संस्था मेसर्स स्वाध्याय प्रिन्टर्स प्रा. लि. को स्थानान्तरित कर दी गई है। अतः राशि रू. 3,39,144 /– की राशि आज तारीख तक ब्याज सहित अनावेदक से दिलवाने हेतु निवेदन किया है।

सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल भोपाल

आवेदक द्वारा अनावेदक के उक्त कथन एवं अनावेदक द्वारा आवेदक मेसर्स स्वाध्याय मंदिर, इन्दौर को भुगतान की गई राशि रू. 2,42,652/– सहयोगी संस्था मेसर्स स्वाध्याय प्रिन्टर्स प्रा. लि. को स्थानान्तरित किये जाने के सबंध में कोई प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है। अतः आवेदक द्वारा दिनांक 31.12.2016 की स्थिति में ब्याज सहित राशि रू. 3,39,144/– में से अनावेदक द्वारा भुगतान की गई राशि रू. 2,42,652/– कम करने के पश्चात दिनांक 31.12.2016 की स्थिति में ब्याज राशि रू. 96,492/– अनावेदक पर बकाया होना पाया जाता है।

काउन्सिल ने अभिलेख अनुसार यह पाया कि आवेदक एवं अनावेदक के बीच दावा आवेदन, भुगतान एवं ब्याज का विवरण निम्नानुसार है:–

| आवेदक द्वारा ब्याज सहित दावा की गई राशि रू. | | अनावेदक द्वारा ब्याज सहित भुगतान की गई राशि रू. | | अनावेदक पर बकाया राशि ब्याज सहित |
|---|---|---|---|---|
| दिनांक | राशि | दिनांक | राशि | |
| दिनांक 30.06.2015 तक | 5,99,456/– | माह फरवरी मे रू. | 1,00,000/– | 96,492/– (दिनांक 05.04.17 की स्थिति में ) |
| दिनांक 01.07.2015 से दिनांक 31.12.2016 तक की ब्याज राशि रू. | 59,801/– | दिनांक 05.04. 2016 में रू. | 2,20,113/– | |
| | | 31.12.16 से 05. 04.17 तक रू. | 2,42,652/– | |
| कुल राशि रू. | 6,59,257/– | | 5,62,765/– | 96,492/– |

अनावेदक द्वारा आवेदक से अविवादित सामग्री प्राप्त करने के उपरांत नियत समयावधि में आवेदक को भुगतान नहीं किया गया है। अतः आवेदक, अनावेदक से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 के प्रावधान अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज सहित भुगतान पाने का अधिकारी है।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम–09 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउन्सिल निर्णय देती है कि इस आदेश के प्रथम पृष्ठ पर, दर्शित अनावेदकगण क्रमांक–1 से 6 द्वारा, उपरोक्तानुसार उन पर दिनांक 31.12.2016 की स्थिति में बकाया ब्याज राशि रू. 96,492/– (रूपये छियानवें हजार चार सौ बानवें मात्र) एवं इस राशि पर दिनांक 01.01.2017 से भुगतान दिनांक तक के ब्याज का भुगतान आवेदक M/s Swadhyaya Mandir, Plot No. 16-A, IDA Scheme No. 71, Indore–452 009 (M.P.) को आदेश पारित होने की सूचना प्राप्ति दिनांक से, 30 दिवस में किया जावे।

अनावेदक द्वारा समयावधि में भुगतान न करने पर, आवेदक, अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार देय कुल राशि पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 में वर्णित प्रावधान अनुसार, भुगतान दिनांक तक, मासिक आधार पर, चक्रवृद्धि ब्याज, पाने का अधिकारी होगा।



म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल भोपाल

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 19 में निहित आज्ञापक प्रावधान अनुसार, अनावेदक, पारित इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील दिनांक तक की, कुल संगणित ब्याज सहित मूलधन राशि की 75 प्रतिशत राशि, सक्षम प्राधिकारी/अपील न्यायालय के समक्ष जमा कर, इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।

14/7

(दीपाली रस्तोगी)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल
एवं
अतिरिक्त महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(सी. मिंज) 14/7
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल
एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।